



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुलतान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

राज.पैरा.कौं/परीक्षा/कण्डक्ट/2022-23/4571

दिनांक:- 03.03.2023

ई-बोली आमन्त्रण सूचना (N.I.B.) 2022-23/4571

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये निम्नानुसार अंकित विशेष विवरण (Specifications) के अनुसार एक लाख बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण करवाने हेतु पंजीकृत, तकनीकी रूप से सक्षम तथा अनुभवी संस्थाओं/मुद्रक/फर्मों से दरें प्राप्त करने हेतु ई-बोली के माध्यम से खुली बोलियां आमन्त्रित की जाती हैं:-

उपापन संस्था का नाम	राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर (सी-7 ए, सुलतान हाउस, जय सिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर-302016)
उत्तरपुस्तिका का विशेष विवरण (Specifications)	Answer-Book Cover Page With OMR Sheet And Barcoded, Map Litho Paper 100GSM, Size:- 30.5*21cm Inner Answer-Book, 40 Pages, Size:- 30.5*21cm, A Class 60GSM Paper Detailed Specifications are mentioned in special Conditions of e-bid (Anx-1) उत्तरपुस्तिका का नमूना कौंसिल के कार्यालय में आकर देखा जा सकता है।
अनुमानित लागत	Rs. 15 लाख
उत्तरपुस्तिकाओं की मात्रा	1 लाख
बोली प्रपत्र का मूल्य	200/- रु
आर आई एस एल प्रोसेसिंग शुल्क रु	500/- (डी.डी. MD, RISL के पक्ष में देय होगा)
अमानत राशि	(Rs. 30,000 रुपये) कुल अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत डी. डी. रजिस्ट्रार, राज.पैरा.कौं.जयपुर के पक्ष में देय होगा।
बोली प्रपत्र प्राप्त करने की दिनांक व समय	दिनांक 03.03.2023 से 09.03.2023 तक (प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक)
बोली प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम दिनांक व समय	दिनांक 10.03.2023 के सायं 05:00 बजे तक
तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 11.03.2023 को दोपहर 3.00 बजे
वित्तीय बोली खोलने का समय	तकनीकी बोली की मूल्यांकन रिपोर्ट उपरान्त (तकनीकी रूप से सफल समस्त बोली दाताओं को सूचित किया जायेगा।)

Note:- बोली दाता, बोली दस्तावेज में उल्लेखित निर्धारित समयावधि में कौंसिल कार्यालय के परीक्षा स्टोर अनुभाग से बोली शुल्क जमा करवाकर बोली दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं या बोली के सम्बन्ध में विस्तृत शर्तें एवं बोली प्रपत्र व अन्य विवरण <https://rajasthanparamedicalcouncil.org> या <https://www.sppp.rajasthan.gov.in> या <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में बोली शुल्क जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट (रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के पक्ष में देय) व RISL प्रोसेसिंग शुल्क जरिये डी.डी. MD, RISL के पक्ष में जमा कराना होगा। बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बोलीदाता को तकनीकी रूप से असफल माना जायेगा व उनकी बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

(कैलाश नारायण मीना)

आर.ए.एस.

रजिस्ट्रार



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

राज.पैरा.कौ / परीक्षा / कण्डक्ट / 2022-23 /

दिनांक:-

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, RISL जयपुर के आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी सर्वर, रूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना आज ही आरपीएमसी की बेवसाईड पर अपलोड करें।
4. लेखा शाखा के पर अपलोड हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कौंसिल कार्यालय पर चस्पा करें।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी-स्टोर



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

Tender Documents

निविदा की सामान्य शर्तें

(राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये अंकित विशेष विवरण (Siccifications) के अनुसार एक लाख बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण के सम्बन्ध में)

बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न निर्देशों व शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करेंगे तथा प्रमाण स्वरूप बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे।

1. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता बोली दस्तावेज में दिये गये तकनीकी मानदण्डों पर सफल होने पर ही वित्तीय बोली में भाग ले सकेंगे।
2. बोली रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को संबोधित की जानी है।
3. निम्न स्थिति में निविदादाता निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।
(क) यदि उसे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व राज्य या केन्द्र के किसी उपक्रम के द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया हो।
(ख) यदि इस उपापन संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया हो।
बोलीदाता को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा (Annexure-7 में निर्धारित प्रारूप में 50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर) कि उसे किसी भी उपापन संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है। यदि निविदादाता द्वारा अपनी अर्हता के संबंध में प्रस्तुत सूचना/दस्तावेज असत्य या दुर्व्यपदेशन गठित करने वाली अथवा सारवान रूप से गलत या अपूर्ण पायी जाती है तो निविदादाता के साथ किये गये अनुबन्ध को निरस्त करते हुये जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त किया जा सकेगा।
4. बोलीदाता को निविदा ऑनलाईन माध्यम से दो भागों में प्रस्तुत करनी होगी (i) तकनीकी निविदा हेतु Part-I में उल्लेखित दस्तावेज स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होगी तथा निर्धारित निविदा शुल्क, आर.आई.एस.एल. शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि निर्धारित समय तक जमा करानी आवश्यक होगी। (ii) वित्तीय निविदा जिसमें वित्तीय निविदा प्रपत्र (Part-II) के अनुसार निर्धारित BOQ शीट में अपना सेवा शुल्क तथा जी.एस.टी. के साथ कुल लागत अंकित करनी होगी। उक्त में से किसी के भी अभाव में निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित कर दिया जायेगा।
5. **बोलियों का प्रत्याहन, प्रतिस्थापन और उपान्तरण:-**
 - निविदादाता बोली लगाने के पश्चात् अपनी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण बोली लगाने की अंतिम दिनांक एवं समय से पूर्व तक कर सकता है।
 - नियत समय के उपरान्त बोली दाता अपनी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण नहीं कर सकता है।
6. नियत समय उपरान्त प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा इन पर राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधि. व नियमों के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. तकनीकी निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज तकनीकी निविदा प्रपत्र Part-I (Anx-2) में उल्लेखित है जिसके प्रमाण स्वरूप दस्तावेजों की सत्यापित प्रति ऑनलाईन माध्यम से अपलोड की जानी आवश्यक है उक्त के अभाव में बिना किसी आगामी पत्राचार के निविदादाता को तकनीकी रूप से असफल कर दिया जायेगा।
8. सशर्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा (स्वयं के लेटर हैड पर Annexure-6 अनुसार घोषणा)
9. तकनीकी निविदा में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी जो वित्तीय निविदा प्रपत्र (Part II) (Anx-3) अनुसार निर्धारित BOQ शीट में प्रस्तुत की जावेगी।



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

10. प्रस्तुत दरो में विषय वस्तु की लागत के साथ सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल किया जाना चाहिए किन्तु जी.एस.टी. पृथक से दर्शाया जावे। किसी भी प्रकार की कर देयता की स्थिति में उसके भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
11. **निविदा का मूल्यांकन :-** वित्तीय दर का मूल्यांकन निविदा प्रपत्र में अंकित विशेष विवरण (Specifications) के अनुसार कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रति उत्तर-पुस्तिका की न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा। यदि किन्हीं दो निविदादाताओं की दरें समान पायी जाती है तो निविदा का मूल्यांकन बोलीदाता के तकनीकी दस्तावेजों के आधार पर कौंसिल की उपासन समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
12. बोली की वैधता 90 दिवस होगी।
13. **बोली प्रतिभूति/ बयाना राशि (Earnest Money) :-** बोलीदाता द्वारा अनुमानित लागत के 2 प्रतिशत के समतुल्य राशि रु. 30,000/- का डी.डी. बोली प्रतिभूति के रूप में रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रतिभूति/बयाना राशि जमा कराने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार लघु उद्योग ईकाईयों आदि को नियमानुसार छूट दी जायेगी, लेकिन इसके सम्बन्ध में बोलीदाता को साक्ष्य स्वरूप आवश्यक प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
14. **निविदा शुल्क :-** बोलीदाता फार्म द्वारा निविदा शुल्क रु. 200/- (दो सौ रूपये मात्र) के ऑनलाईन अथवा डी.डी./B.C. (रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर के पक्ष में देय) के रूप में निर्धारित समयावधि तक बनवाकर रसीद/डी.डी./तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त के अभाव में बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. **प्रोसेसिंग शुल्क :-** आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क राशि रु. 500 (पांच सौ रु. मात्र) को बोलीदाता द्वारा जरिये डी.डी./B.C. (MD, RISL के पक्ष में देय) तकनीकी बोली के साथ जमा करवाना होगा।
16. बोली प्रतिभूति की राशि का समपहरण:-
 - (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
 - (ख) जब बोली दाता विनिर्दिष्ट समय में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने व करार करने में असफल रहता है।
 - (ग) जब निविदादाता सत्यनिष्ठा की संहिता को भंग करता है।
 - उपरोक्त स्थितियों में बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र के आधार पर बोलीदाता को बोलीप्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा ऐसा नहीं करने पर राज. लोक उपापन पारदर्शिताअधि. 2012 व नियम 2013 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति :-**
 - (क) निम्नलिखित के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना ली जायेगी :-
 1. राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग/बोर्ड,
 2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनियां,
 3. केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधधीन हो : या
 4. स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबन्ध में हो। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
 - (ख) सफल निविदादाता को इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उल्लेखित समयावधि में कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रदाय आदेश की अनुमानित लागत के 2.5 प्रतिशत राशि (अर्थात् 30,000 रूपये) के Demand Draft/Banker Cheque/ द्वारा (रजिस्ट्रार, राज.पैरा.कौंसिल, जयपुर के पक्ष में) जमा कराना होगा।



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

18. वित्तीय दरों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण:-

- (i) बोलीदाता के वित्तीय दस्तावेज में (B.O.Q.) में अपनी दरें प्रति उत्तरपुस्तिका (पेपर एवं मुद्रण सहित) अंकित करनी होंगी। जीएसटी को पृथक से दर्शाया जाना चाहिये।
- (ii) प्रस्तावित दरें बोली की अन्तिम दिनांक से 03 माह तक प्रभावी/लागू रहेंगी।
- (iii) अनुमोदित बोलीदाता को कार्यदेश जारी करने की दिनांक से 07 दिन में एक लाख उत्तरपुस्तिकायें मुद्रित कर सफ़ाई करने का कार्यदेश दिया जायेगा। इसके बाद 03 माह की अवधि तक, आवश्यकतानुसार उत्तरपुस्तिकायें मुद्रित करने हेतु कार्यदेश दिया जा सकता है जिसके अनुसार अतिरिक्त उत्तरपुस्तिकाओं की भी आपूर्ति करनी होगी।

19. कार्य निष्पादन प्रतिभूति लौटाने के समय किसी प्रकार से ब्याज देय नहीं होगा।

20. कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण:-

- (क) सफल निविदादाता निविदा दस्तावेजों में उल्लेखित विशेष विवरण (Specifications) के अनुसार सामग्री/सेवाओं का प्रदाय न कर निम्न गुणवत्ता की सामग्री/सेवायें प्रदाय करता है।
- (ख) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार सेवाओं का प्रदाय करने में असफल रहता है।
- (ग) सफल निविदादाता अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है।

21. **करार (Agreement) :-** सफल निविदादाता को इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त 03 दिवस में उपस्थित हो 500 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल (गैर-न्यायिक) स्टाम्प पर करार करना होगा। नियत समय पर करार (Annexure-4) करने (करार में बोली के सम्बन्ध में बोली सूचना में अंकित समस्त आवश्यक शर्तों का अंकन किया जायेगा जो दोनों पक्षों के लिये आवश्यक हो) में असफल होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधानुसार कार्यवाही की जावेगी।

22. उपापन संस्था बोली को आंशिक स्वीकार करने तथा किन्ही भी कारणों से रद्द करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

23. सफल बोलीदाता अपने कार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी को नहीं सौपेगा या सब-लेट नहीं करेगा।

24. बोलीदाता को किसी शर्त के संबंध में संशय होने पर निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से 03 दिवस पूर्व तक कार्यालय में किसी कार्यदिवस में संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

25. **उत्तरपुस्तिका का नमूना:-** बोलीदाता द्वारा बोली की अन्तिम दिनांक से पूर्व कार्यालय समय में आकर मुद्रित करवाई जाने वाली उत्तरपुस्तिका का नमूना देखा जा सकता है।

26. प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगे।

27. **गोपनीयता:-** अनुमोदित बोलीदाता द्वारा इस बोली आमंत्रण सूचना में अंकित कार्य (कार्य की प्रकृति) से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण गम्भीरता तथा पूर्ण गोपनीयता के साथ सम्पादित करना होगा।

28. निविदादाता अपनी दरों के साथ जी.एस.टी. राशि का अलग से उल्लेख करेंगे। यदि निविदादाता की फर्म को जी.एस.टी. से छूट प्राप्त है तो उस हेतु आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे।

29. सशर्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

30. निविदादाता को RTPP Rules 2013 के नियम 80 के अनुसार सत्यनिष्ठा की संहिता की पालना करना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा सत्यनिष्ठा की संहिता के भंग किये जाने पर उपापन संस्था द्वारा RTPP Act. Section 11(3) व 46 अनुसार कार्यवाही की जा सकेंगी।

31. उक्त निविदा दस्तावेज में यथा उपबन्धित न होने पर भी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

32. बोलीदाता द्वारा अपना उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण सम्बन्धी समस्त कार्य कौंसिल के द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार पूर्ण नहीं किया जाता है अथवा बीच में बन्द कर दिया जाता है तो कौंसिल द्वारा आवश्यक होने पर वह कार्य किसी अन्य पक्ष से करवाया जायेगा और अन्य पक्ष से उक्त कार्य करवाने



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

पर जो भी व्यय होगा उस राशि की वसूली/कटौती बोलीदाता को देय राशि में से की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस विलम्ब अथवा कार्य नहीं करने के कारण कौंसिल द्वारा बोलीदाता पर शास्ति (पेनल्टी) लगाई जा सकती है, जिसकी राशि भी बोलीदाता को देय भुगतान में से काटी जायेगी।

33. **सुपुर्दगी अवधि :-** “कार्यादेश के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं की छपाई कर सम्पूर्ण सप्लाई 7 दिवस की अवधि में करनी होगी। निर्धारित अवधि में सप्लाई नहीं करने पर कौंसिल द्वारा पेनल्टी लगाई जा सकती है अथवा शेष कार्य अन्य पक्ष से करवाने पर आई लागत एवं हानि की भरपाई निविदा दाता को करनी होगी।
34. **भुगतान:-** देय भुगतान में से नियमानुसार स्रोत पर आयकर (TDS) व जी.एस.टी. एक्ट के तहत TDS कटौती की जावेगी। उक्त कटौती के बाद देय राशि का भुगतान बोलीदाता के बैंक खाते में आर.टी.जी. एस. द्वारा जमा करा दिया जायेगा।
35. बोलीदाता की बोली अनुमोदित होने के बाद लेकिन अनुबन्ध करने से पूर्व कौंसिल की उपापन समिति अथवा कौंसिल द्वारा गठित दल द्वारा बोलीदाता के मुद्रणालय/कार्यशाला का निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण से संतुष्ट होने के बाद ही अनुबन्ध किया जायेगा तथा कार्यादेश जारी किया जायेगा।
36. उपरोक्त निविदा के किसी भी प्रक्रम (प्रोसेस) पर वापिस लिये जाने तथा समस्त बोलीओं को अस्वीकार करने का अधिकार राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के पास सुरक्षित रहेगा।
37. All Disputes arising out of this agreement/tender and all questions relating to the interpretation of this agreement/tender shall be decided by RPMC, Jaipur and the decision of RPMC, Jaipur shall be final and binding for both the parties. If any legal dispute/conflict arises during the agreement period, the jurisdiction shall only be in the courts of the city of Jaipur.

हस्ताक्षर निविदादाता



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

अपील:-

- निविदादाता अपील उतनी प्रतियों में जितने अपील के प्रत्यर्थी है निर्धारित प्रारूप मे (संलग्न-अनु-5) पेश करेगा।
- निविदादाता द्वारा प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, यदि कोई है, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबुत के साथ होगी।
- प्रत्येक अपील प्रथम अपील अधिकारी-(i) अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी -(ii) अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को व्यक्तिशः या रजिस्टर्ड डाक या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।
- प्रथम अपील किसी निर्णय की दिनांक से 10 कार्य दिवसों में तथा द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय की दिनांक से 07 कार्य दिवसों में पेश की जा सकती है। उक्त समय के उपरान्त की गई अपील पर विचार नहीं किया जायेगा।

अपील फीस:-

- कोई भी अपील बिना फीस के स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रथम अपील के लिए यह 2500/- (दो हजार पांच सौ रुपये मात्र) तथा द्वितीय अपील के लिए यह 10,000/- (दस हजार रुपये) निर्धारित है जिसे रजिस्ट्रार, राज.पैरा.कौंसिल, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा देय हैं
- अपील पेश किये जाने पर अपील अधिकारी द्वारा नियत तिथि को सुनवाई हेतु पेश होना आवश्यक है ताकि सशस्त पक्षों को सुनने के उपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। इस निर्णय की प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

अपील का प्रारूप:-RTPP Rules प्रारूप संख्या-1 (Annexure-5 अनुसार)

अपीलार्थी के हस्ताक्षर



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

Annexure-1

Technical Specifications and Special Conditions for e-Bid

1. Specifications of Answer Books

- i. Answer sheets with OMR Printed cover page in 100 GSM Map litho Paper.
 - ii. The Size of the answer booklet will be 30.5 x 21cm, 40 pages (excluding cover page) in 60 GSM "A" class paper.
 - iii. The answer book will contain total 40 pages excluding cover page and marking page as per specimen.
 - iv. Top Cover OMR page will have three vertical perforations and self-sticking flap.
 - v. The Three flaps on the cover pages will have same barcode pre-printed on them indicating the answer sheet number.
 - vi. The "Instructions to the Students" will be printed on the back side of the OMR sheet, which will be provided with the work order.
 - vii. The cover page will be machine stitched on the answer-booklet.
 - viii. The Bar Codes and marks, roll No., Paper code etc. filled by Examiner/Students Should be scan able by any standard type of OMR Scanner. Supplier shall be required to demonstrate correctness of the printing of OMR answer book using any Standard OMR scanner at the choice of the Council.
 - ix. Add Center Code Column on answer-books.
2. An individual bidder shall participate in the tender. No consortium / Sub-letting will be allowed at any stage.
[Self-undertaking to be submitted in this regard.] {Annexure-6}
3. The bidder should have at least a total 3 years' experience of Printing of answer-books.
4. The bidder must have their working Printing Press/Workshop in Jaipur where all printing activities must be carried out.
[Documentary evidence and Self-undertaking to be submitted in this regard.]
{Annexure-6}
5. The bidder should have had annual turnover of Rs. 50 Lacs. in each year of last three financial year.
[CA Certificate/ ITR to be submitted in this regard.]



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

Annexure-2

Part-I:- Technical Bid Check-List

(राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये अंकित विशेष विवरण (Specifications) के अनुसार एक लाख बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण के सम्बन्ध में)

S.N.	Particulars	Required Documents & Other required Details	Page no. of Attached Document
1	A registered entity in India as a proprietorship /partnership firm or a private limited or a public limited company under the Indian Companies Act 1956 or Indian Partnership Act 1932.	A certified valid copy of the registration.	
2	Tender Fee Rs. 200/- (By way of a Demand Draft B.c. in favour of Registrar RPMC)	Enclose Copy of Fee Document/D.D./D.C.	
3	RISL Processing Fee Rs. 500/- (By way of a Demand Draft B.C. in favour of MD, RISL)	Enclose D.D./B.C.	
4	Bid Security Deposit Rs. 30,000/- (By way of a Demand Draft B.C. in favour of Registrar RPMC)	Enclose D.D./B.C.	
5	PAN card	Certified copy of PAN Card	
6	GST Registration	Certified copy of GST registration	
7	The bidder should have minimum annual turnover of Rs. 50 Lacs in each year of last three financial years.	Bidder must enclose CA firm certificate or I.T.R. about the turnover with seal & membership no. of the CA firm.	
8	Total 5 Years' Work Experience.	Bidder must enclose the copies of the work order issued by procuring entities along with experience certificate.	
9	Undertaking on Rs. 50/- non-judicial stamp about blacklisting by the state govt./centre govt. & PSU of state and centre govt. or any other procuring entity	Copy of undertaking mentioned as Annexure - 7	
10	Firm must have submit proof of their working printing press/workshop.	Copy of Lease deed, Rent agreement or firms owned permices plot patta from local body	
11	Phone No. Including Mobile No.	Details written by firm	
12	E-mail ID	Details written by firm	
13	Bank Account Detail (Account No. & IFSC Code)	Details written by firm or copy of Cheque	

नोट:- निविदादाता निविदा भरते समय Annexure-2 में उल्लेखित सभी दस्तावेज क्रमिक रूप से हस्ताक्षरित कर पेज नम्बर के साथ अपलोड करावें तथा एक लिफाफे में निविदा शुल्क, आर आई एस एल प्रोसेसिंग शुल्क व बिड सिक्युरिटी के डी.डी. तथा ब्लेकलिस्टिंग से सम्बन्धित अण्डरटेकिंग एक लिफाफे में सीलबद्ध कर इस लिफाफे के उपर तकनीकी दस्तावेज लिखा जाना चाहिए। जो रजिस्ट्रार, राज.पैरा.कौ., जयपुर को सम्बोधित हो, बिड अपलोड करने के लिए नियत तिथि व समय तक कौंसिल कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करावें।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

Annexure-3

Part II: "Financial Bid"

FOR

(राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये अंकित विशेष विवरण (Specifications) के अनुसार एक लाख बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण के सम्बन्ध में)

1. कार्य का ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-निविदा होने के कारण निविदादाता द्वारा अपनी दरें ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल में (B.O.Q.) में प्रति उत्तरपुस्तिका की दर के अनुसार भरी जायेगी।
2. प्रस्तावित दरें FOR, Rajasthan ParaMedical Council में होगी। अर्थात् अनुमोदित बोलीदाता को माल (उत्तरपुस्तिकायें) Rajasthan ParaMedical Council के वर्तमान कार्यालय तक सुपुर्द करना होगा।
3. प्रस्तावित दरें निविदा की अन्तिम दिनांक से 03 माह तक मान्य/प्रभावी होगी।
4. अनुमोदित बोलीदाता को प्रथम बार में 01 लाख उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण का कार्यादेश दिया जायेगा तथा 03 माह की अवधि में आवश्यकता होने पर अतिरिक्त आपूर्ति के लिये कार्यादेश भी दिया जा सकता है।

Signature of Bidder with seal



राजस्थान पैरामेडिकल काँसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

Annexure-4

AGREEMENT

An agreement made this ----- day of ----- between ----- (hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators of the one part and the Rajasthan Paramedical Science (hereinafter called "RPMC" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the RPMC to supply to the _____ of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column _____ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs. _____ in _____. (1) Cash/Bank Draft/Challan no./Banker Cheque No./ Bank Guarantee No. _____ dated _____.

4. Now these Presents witness:

(i) In consideration of the payment to be made by the RPMC through _____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in _____ and _____ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

(ii) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the E-tender notice No. _____ dated _____ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(iii) Letters Nos. _____ received from tenderer and letters nos. _____ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(iv) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RPMC will through _____ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

5. The agreement shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

S.No.	Items	Quantity	Period	Delivery
-------	-------	----------	--------	----------

6. (1) (i) In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply:

(a) Delay upto two days period of 2½% the prescribed delivery period.

(b) Delay upto four days period of 5% the prescribed delivery period.

(c) Delay upto six days period of 7½% the prescribed delivery period.

(d) Delay upto eight days or more period of 10% the prescribed delivery period.



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर I)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

Note :

- (i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.
 - (ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%.
 - (iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hinderences, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.
- (2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the tenderer.
7. The agreement shall remain from to i.e. a period of and shall be binding on both the parties unless terminated earlier or modified by both the parties.
8. Period of agreement will be extended on same terms and conditions on mutual consent of both the parties.
9. The jurisdiction of all dispute will be "Jaipur".
10. The Payment Schedule will be as under:

On Submission of bill	100% of the Amount of bill as per the Work Order
-----------------------	--

11. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the RPMC and the decision of the RPMC shall be final. In witness whereof the parties hereto have set their hands on the..... day of2022

Signature of the
approved Bidoler

Date:

Witness No. 1 .

Witness No.2

Signature for and on behalf RPMC

Designation

Date:

Witness No.1

Witness No.2



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

Annexure-5

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं.....
(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी)..... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां
(i) अपीलार्थी का नाम
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो
(iii) आवासिय पता
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता:
(i)
(ii)
(iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य का लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है:
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता:
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या:
6. अपील का आधार:-.....
.....
.....

(शपथ पत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना:-

स्थान:-

तारीख:-

अपीलार्थी के हस्ताक्षर



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

Annexure – 6

निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाये

घोषणा-पत्र

हमें/मुझे राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये निम्नानुसार अंकित विशेष विवरण (Specifications) के अनुसार एक लाख बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण के सम्बन्ध में निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है मेरे द्वारा दी कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार कराने के लिए मैं विभाग को बाध्य नहीं करूंगा एवं विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की कठोरता से अनुपालना करूंगा।

हमे राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा दी गई निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सम्पूर्ण पता एवं दिनांक



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी-7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)

Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

Annexure – 7

50 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सम्पादित किया जाये

Declaration by the Bidder

I/ We the Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/s.....hereby declare that our Firm/ Company namely M/s Has not been blacklisted or debarred in the past by any Government Undertaking Organization and Central/ State Govt. Department or any other Government organization from taking part in Government tenders.

In case any of the above information is found false I/ We are fully aware that the tender/ contract will be rejected/ cancelled by the RPMC, the EMD/ SD shall be forfeited and action may be taken as per the RTPP Rules, 2013 and other legal rules.

In Addition to the above the RPMC will stop the process of payment of all bills immediately and shall not be responsible to pay the bills for any completed/ partially completed work.

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation:

Address :